बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0/SBPDCL–03/2019 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना ।

विषयः– **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन भागलपुर, गया, बोधगया शहर (पूर्व वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र) एवं आरा में इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 346.54 करोड़ (तीन सौ छियालीस करोड़ चौवन लाख) रूपये की अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 346.54 करोड़ रूपये का 10 प्रतिशत 34.654 करोड़ (चौंतीस करोड़ पैसठ लाख चालीस हजार) रूपये राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी के रूप में स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में साउथ बिहार पावर डि0 कं0 लि0 को 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–556 दिनांक–25.02.2019 के आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन भागलपुर, गया, बोधगया शहर (पूर्व वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र) एवं आरा में इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 346.54 करोड़ (तीन सौ छियालीस करोड़ चौवन लाख) रूपये की अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 346.54 करोड़ रूपये का 10 प्रतिशत 34.654 करोड़ (चौंतीस करोड़ पैसठ लाख चालीस हजार) रूपये राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी के रूप में स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में साउथ बिहार पावर डि0 कं0 लि0 को 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त राशि मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0106 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900106 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
3000000000.00	2900000000.00	100000000.00	3000000000.00	0.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 3758 दिनांक 31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि उस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।

E:/Baljeet Jha/F.Y.-2019/Energy Deptt.(Allotments & Others)/A.O & S.O/Allotments

5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिन्हित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण–पत्र भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200047 में जमा की जाएगी।

7. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/SBPDCL–03/2019 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/SBPDCL–03/2019 - 43 /पटना, दिनांक– 26/02/19

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

(10)